

## सू.प्रौ. समर्थ सेवाएँ (विशिष्ट ग्राहक) पॉलिसी

1. सू.प्रौ.समर्थ सेवा (विशिष्ट ग्राहक) पॉलिसी किन चीजों से रक्षा प्रदान करती है ?  
सू.प्रौ.समर्थ सेवा (विशिष्ट ग्राहक) पॉलिसी, किसी ग्राहक को सू.प्रौ.समर्थ सेवाएँ प्रदान करने में निहित निम्नलिखित वाणिज्यिक व राजनीतिक जोखिमों को रक्षा प्रदान करने के लिए जारी की जाती है :

  - (i) वाणिज्यिक जोखिम :
    - (क) ग्राहक का दिवालियापन
    - (ख) विशिष्ट अवधि जो सामान्यतया देय तारीख से चार माह की होती है, के भीतर भुगतान करने में ग्राहक की असफलता ।
    - (ग) प्रदान की गई सेवाओं को स्वीकार करने में खरीदार की असफलता (कुछ शर्तों के अधीन)
  - (ii) बैंक जोखिम :
    - (क) साख पत्र खोलने वाले बैंक का दिवालियापन
    - (ख) विशिष्ट अवधि के भीतर, जो सामान्यतया देय तारीख से चार माही की होती है के भीतर साख पत्र खोलनेवाले बैंक की असफलता (दस्तावेजों में असंगतियों के कारण गैर अदायगी को संरक्षित नहीं किया जाएगा )
  - (iii) राजनीतिक जोखिम :
    - (क) ग्राहक के देश की सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना अथवा सरकार द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई जो ग्राहक द्वारा किए गए भुगतान के अंतरण में विलंब करे अथवा रोके
    - (ख) ग्राहक के देश में युद्ध, गृह युद्ध क्रांति अथवा नागरिक उपद्रव
    - (ग) ग्राहक के देश के प्राधिकारियों द्वारा वैध आयात लाइसेंस रद्द करना अथवा नए आयात प्रतिबंध
    - (घ) निर्यातक व ग्राहक के बीच कानूनी रूप से वैध व आबद्ध संविदा को भारत सरकार द्वारा रद्द करना

2. किस तरह की सू.प्रौ.समर्थ सेवा संविदाएँ रक्षा के लिए पात्र होंगी ?

सू.प्रौ.स.से.पॉलिसी परिभाषित अवधि के दौरान बिल के साथ प्रदान की जाने वाली सेवाओं, जो निर्धारित अवधि जैसे एक सप्ताह, एक माह अथवा एक तिमाही के दौरान प्रदान की गई सेवा के आधार पर होती है, जहाँ प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान देय है और वे विदेशी मुद्रा में प्राप्त होंगे, के लिए की गई संविदों के लिए रक्षा प्रदान करती है ।

3. सू.प्रौ.समर्थ सेवा संविदा की वे कौनसी महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं जो सू.प्र.स.से.पॉलिसी के अंतर्गत रक्षा के लिए पात्र होगी ?

सू.प्रौ.समर्थ सेवा संविदाओं की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्न अनुसार है :

- (i) संविदा, परिभाषित अवधि के दौरान कुछ सेवा प्रदान करने के लिए होगी । यह किसी कार्य के पूरा करने के लिए नहीं होगी ।
- (ii) पूर्व निर्धारित अंतराल जैसे एक सप्ताह, एक पखवाड़ा अथवा एक माह के दौरान प्रदान की गई सेवा के लिए बिल किया जाएगा । संविदा में प्रदान की गई सेवा के मूल्यांकन की पद्धति, बिलिंग, स्वीकार करने की पद्धति, बिल के भुगतान की तारीख अनुबद्ध होगी ।
- (iii) जहाँ पर भुगतान न किए जाने की समस्या होगी, वहाँ कुछ सेवाएँ बीजकीकृत व स्वीकृत हो सकती है किंतु अदायगी नहीं की गई होगी, कुछ सेवाएँ बीजकीकृत होंगी पर अभी स्वीकृत नहीं होंगी, कुछ सेवाएँ प्रदान की जा चुकी होंगी किंतु उन्हें अभी बीजकीकृत किया जाना शेष होगा ।
- (iv) कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहाँ कोई दस्तावेज नहीं होंगे । बिलिंग सहित कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई होगी । जिसके फलस्वरूप इसके बीच इन दस्तावेजों को हैंडल करने के लिए कोई बैंक नहीं होगा ।
- (v) सेवाएँ प्रदान करते समय गलतियों को ढूँढने के लिए व उसके संशोधन की कार्यवाही के लिए भी ठेका दिया जा सकता है । गलतियों व चूकों के लिए भुगतान में दंड अथवा कटौती भी संभव है ।

4. सू.प्रौ.समर्थ सेवा पॉलिसी की महत्वपूर्ण विशेषताएँ क्या हैं ?

इन पॉलिसियों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्न अनुसार होंगी :

- (i) निर्यातक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को दर्शाते हुई मासिक घोषणा, बनाए गए बीजक व अदा किए गए बीजक, निर्धारित फॉर्म में प्रस्तुत करने होंगे । अलग अतिदेय रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी । गैर अदायगी के मामले में, संरक्षित हानि स्वीकृत किंतु अदा न किए गए बीजक, प्रस्तुत किंतु अभी स्वीकार न किए गए बीजक तथा प्रदान की गई सेवाएँ किंतु बीजक न किए गए (केवल एक के लिए) बिलिंग साइकिल के लिए होगी ।
- (ii) पॉलिसीधारक को पहले ही यह विनिर्दिष्ट करना होगा कि किए जा रहे कार्य का अनुमान किस तरह किया जाए । (यह रिपोर्ट किए गए कार्य की मात्रा तथा किए गए कार्य की मात्रा जानने के लिए परिभाषित यूनिट पर लागू की जाने वाली दर दर्शाएगी। यह किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य घंटों तथा प्रति व्यक्ति कार्य घंटे की दर को दर्शाया जाने वाला दस्तावेज हो सकता है अथवा यह किए गए कार्य के दिनों की संख्या तथा प्रति दिन दर हो सकता है )
- (iii) निगम की देयता प्रदान की गई सेवाओं के लिए होंगी जो मासिक घोषणा में रिपोर्ट की गई हो ।
- (iv) दावा स्वीकार करने से पूर्व निगम को बही खातों व निर्यातक के अन्य दस्तावेजों की जाँच करने का अधिकार होगा चाहे वह इसकी जाँच स्वयं करे अथवा प्राधिकृत एजेंसी से करवाए । बैंक द्वारा प्रमाणन को उन मामलों में छोड़ा जा सकता है जहाँ यह महसूस किया जाए कि यह संभव नहीं है ।
- (v) प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में संविदा में स्पष्ट स्वीकृत तंत्र होना चाहिए यदि संभव हो, मध्यस्थता की प्रक्रिया । इसमें गलतियों, भूल चूकों का सुधार भी दर्शाया जाना चाहिए । निगम गलतियों अथवा भूल-चूकों के कारण हुई किसी भी हानि को रक्षा प्रदान नहीं करेगा ।
- (vi) रक्षा केवल 80% तक प्रदान की जाएगी ।
- (vii) पॉलिसी के लिए दस्तावेजी आवश्यकता, सौदों के विशेष स्वरूप को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रकार के जोखिमों के लिए अलग दर्शाई जाएगी । दावों को स्वीकार करने से पूर्व, निगम अपने अधिकारियों अथवा अन्य विशेषज्ञों द्वारा निर्यातक के बही खाते के सत्यापन की मांग कर सकता है ।

।

पॉलिसी उन संविदाओं के लिए प्रदान की जाएगी, जिसमें सू.प्रौ. समर्थ सेवा निर्यात उद्योग की प्रथाओं व मानदंडों के अनुसार मानक निबंधन व शर्तें हों ।

5. सू.प्रौ.समर्थ सेवा (विशिष्ट ग्राहक) पॉलिसी के अंतर्गत लागू प्रीमियम दरें क्या होगी ?

सू.प्रौ.समर्थ सेवा (विशिष्ट ग्राहक) पॉलिसी के अंतर्गत एक पॉलिसी वर्ष में प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए प्रीमियम दरें निम्न अनुसार हैं :

देश समूह	प्रीमियम दर हानि सीमा के 100/- रु. प्रति पैसे	
	ग्राहक/बैंक के वाणिज्य व राजनीतिक जोखिमों को रक्षा	केवल राजनीतिक जोखिमों को रक्षा हेतु
ए 1	140	30
ए 2	190	70
बी 1	240	120
बी 2	290	170
सी 1	320	190
सी 2	340	210
डी	360	230

6. सू.प्रौ.समर्थ सेवा (विशिष्ट ग्राहक) पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम के भुगतान की प्रक्रिया क्या है ?

इस पॉलिसी का विकल्प चुनने वाले निर्यातकों को यह विकल्प प्रदान किया जाएगा कि वे चाहें तो प्रीमियम तिमाही आधार पर जमा करें अथवा वार्षिक आधार पर जहाँ निर्यातक वार्षिक आधार पर प्रीमियम अदा करने का विकल्प चुनता है, उन्हें देय प्रीमियम पर 5% की छूट दी जाएगी । प्रत्येक तिमाही का प्रीमियम तिमाही प्रारंभ होने के पूर्व अग्रिम तौर पर देय होगा । यदि कोई विलंब होता है, तिमाही प्रारंभ होने से लेकर प्रीमियम प्राप्त होने की तारीख की अवधि के दौरान किए गए पोतलदानों के संबंध में रक्षा उपलब्ध नहीं होगी । जहाँ प्रीमियम की राशि तिमाही किस्तों में अदा की गई है और दावा कुछ किस्तों के प्रेषण के पूर्व उत्पन्न होता है, तो निर्यातक द्वारा दावा दर्ज करने के पूर्व संपूर्ण राशि देय होगी । एक बार अदा किया गया प्रीमियम लौटाया नहीं जाएगा । यदि निगम किसी भी

कारण से पॉलिसी अवधि के दौरान रक्षा वापस लेता है, तो रक्षा वापस लेने वाले माह के बाद की शेष अवधि के लिए समानुपातिक प्रीमियम, कुल प्रीमियम के 25% के बराबर की राशि न्यूनतम प्रीमियम के रूप में रखकर, लौटा दिया जाएगा ।

7. सू.प्रौ.समर्थ सेवा (विशिष्ट ग्राहक) पॉलिसी के अंतर्गत अन्य प्रक्रियागत आवश्यकताएँ क्या हैं ?
- (i) पॉलिसी अवधि के दौरान ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित किसी भी जोखिम के कारण उत्पन्न किसी भी दावे की हानि सीमा को पॉलिसी में दर्शाया जाएगा ।
  - (ii) यदि निर्यातक ग्राहक हानि सीमा में विस्तार चाहता है तथा यदि निगम उसके कारणों से संतुष्ट हैं तो इसे मंजूर किया जाए । इस परिवर्तन के लिए किए गए निवेदन के बाद वाले माह से शेष पॉलिसी की अवधि के लिए देय प्रीमियम में समानुपातिक वृद्धि होगी जो न्यूनतम तीन महीनों के अधीन होगी ।
  - (iii) उसी प्रकार, निगम के पास यह अधिकार है कि बाद के माह से पॉलिसी की शेष अवधि के लिए देय प्रीमियम राशि में तदनुरूपी कटौती के साथ बीमाकृत ग्राहक पर हानि सीमा कम करें ।
  - (iv) पॉलिसी के नवीकरण के समय निर्धारित प्रारूप में वास्तविक पण्यवर्त की आवश्यकता होगी ।
  - (v) निर्यातक को प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए भुगतान की देय तारीख में विस्तार के लिए निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा, यदि संशोधित देय तारीख ऐसी सेवा प्रदान करने की तारीख से संशोधित देय तारीख 180 दिनों से आगे की हो ।
  - (vi) भुगतानों की अप्राप्ति, भुगतान की देय तारीख अथवा विस्तारित देय तारीख से 30 दिनों के भीतर अधिसूचित की जाए ।
  - (vii) दावा, निर्धारित फॉर्म में भुगतान की देय तारीख से एक वर्ष के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए ।
  - (viii) दावे के भुगतान पर यदि कोई वसूली की जाती है, तो उसे निगम के साथ उसी अनुपात में बाँटा जाएगा जिस अनुपात में हानि वहन की गई थी । तथापि, निगम के पूर्व अनुमोदन से वसूली के लिए निर्यातक द्वारा वहन किए गए व्यय का वसूल की गई राशि पर पहला चार्ज होगा तथा वसूली व्यय घटाकर, वसूल की गई राशि का बँटवारा स्पष्ट किए अनुसार किया जाएगा ।

(ix) निर्यातक को 1,000/- रु. के न लौटाए जाने वाले निर्धारित पॉलिसी शुल्क के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा ।